न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी यज्ञ मित्र सिंहदेव, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 61/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड, रजिस्टर्ड पताः– 102 कंचन अपार्टमेंट अपोजिट एल.बी.एस. कॉलेज, तिलक नगर, जयपुर, शाखा कार्यालय दांतारामगढ़ सीकर (राज.)।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. गिरवर सिंह उर्फ गिरधारी सिंह पुत्र शोभ सिंह, निवासी–133 सांड के चबुतरे के पास, नांगल भीम, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान।
2. जितेन्द्र सिंह पुत्र गिरवर सिंह उर्फ गिरधारी सिंह, निवासी वार्ड नम्बर 11, नांगल भीम, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान।
3. देवेन्द्र राज पुत्र लाडू राम निवासी 12 पारावल मार्ग श्रीमाधोपुर वार्ड नम्बर 20, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर एवं धर्मार्थ संस्थान की गली वार्ड नम्बर 20 तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राज.।
4. महेन्द्र सिंह पुत्र समुन्दर सिंह, निवासी 42 मौहल्ला राजपूतों का नांगल भीम, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राज.। ,

अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः 07नवम्बर, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सैनी द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण गिरवर सिंह उर्फ गिरधारी सिंह, जितेन्द्र सिंह, देवेन्द्र राज, महेन्द्र सिंह को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में गिरवर सिंह उर्फ गिरधारी सिंह की सम्पति स्थित विलेज नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर जिसके उत्तर में अन्य भूमि, दक्षिण में 30 फिट रोड़, पूर्व में महिपाल सिंह की भूमि, पश्चिम में अन्य भूमि स्थित हैं, जिसका क्षैत्रफल 393 वर्गगज है, को बंधक रखकर 10,00,000/–रूपये (अक्षरे रूपये दस लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में

असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 29.05.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये एवं स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी ऋणी की ओर से वकील श्री मनोज शर्मा ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु अवसर चाहा परन्तु आदिनांक तक कोई जवाब /दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 29.05.2019 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है। वित्तीय संस्थान को भारत के राजपत्र दिनांक 24.10.2018 में सरफेसी अधिनियिम के उपखण्ड के प्रयोजन हेतु वित्तीय संस्थान निर्दिष्ट किया गया है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण गिरवर सिंह उर्फ गिरधारी सिंह, जितेन्द्र सिंह, देवेन्द्र राज, महेन्द्र सिंह की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक गिरवर सिंह उर्फ गिरधारी सिंह की सम्पति स्थित विलेज नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर जिसके उत्तर में अन्य भूमि, दक्षिण में 30 फिट रोड़, पूर्व में महिपाल सिंह की भूमि, पश्चिम में अन्य भूमि स्थित हैं, जिसका क्षैत्रफल 393 वर्गगज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांकः 07 नवम्बर, 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Yagya Mitra Singhdeo
Date: 2019.11.13 16:13:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: